दिनांक 3-7-2021 को अग्रवाल महाविद्यालय बल्लभगढ़ में कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ (legal literacy cell) के तत्वावधान में एक दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसका विषय था:-यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा। (Protection of children from sexual offence) महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर कृष्ण कांत गुप्ता के संरक्षण में यह कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्य वक्ता के रूप में एडवोकेट उमा चौहान उपस्थित रही।

कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। कार्यक्रम संयोजिका डॉ उषा अग्रवाल ने मुख्य अतिथि एवं प्राचार्य का सादर अभिवादन किया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर कृष्ण कांत गुप्ता ने अतिथि का सादर अभिनंदन व्यक्त करते हुए कहा :- teacher is not a teacher but also like mother, father and friend. उन्होंने यौन अपराध को एक महामारी के रूप में बताया और कहा कि यह एक दिमागी वायरस है। आज के समय में नकारात्मक सोच को बदलना आवश्यक है। जीवन की किताब को पसीने की स्याही से लिखना चाहिए। भाग्य पर भरोसा करते हुए आत्म बल व सकारात्मक सोच द्वारा लक्ष्य प्राप्ति होना निश्चित है। तत्पश्चात कार्यक्रम की मुख्य वक्ता एडवोकेट उमा चौहान ने सभी का सादर अभिवादन प्रकट करते हुए पोक्सो एक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी दी ।उन्होंने एक्ट कब ,क्यों और कैसे बना इस पर विस्तृत विवेचना की उन्होंने कहा 14 नवंबर 2012 को यह एक्टर 18 वर्षों से कम उम्र के किशोर व किशोरियों के लिए बनाया गया है। उन्होंने सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 14 तक में आने वाले सभी अपराधों की जानकारी के साथ-साथ सजा जुर्माना तथा स्पेशल हेल्पलाइन नंबर की विस्तृत जानकारी सांझा करी। इसके अतिरिक्त उन्होंने डालसा ऑफिस और जुग नाइल कोर्ट के विषय में भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी।

धन्यवाद ज्ञापन श्रीमती अनीता के द्वारा किया गया। लगभग 150 विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और प्रश्नों के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया। कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ की संयोजिका डॉ उषा अग्रवाल एवं उनके सहयोगी डॉक्टर शोभना गोयल एवं श्रीमती अनीता के मार्गदर्शन में यह कार्यशाला सफलतापूर्वक आयोजित हुई।